न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4106–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–9–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 36/2011–12/अपील.

राजेन्द्र कुमार पिता मंगलेश सोहनी
निवासी 152 परदेशीपुरा बडाबम खण्डवा
जिला खण्डवा .....आवेदक

विरूद्ध

शिवकुमार पिता स्व. लक्ष्मीनारायण भारद्वाज
निवासी हनुमार वार्ड नार्मदीय धर्मशाला के पास
हरदा–खण्डवा मेनरोड हरदा जिला हरदा .....अनावेदक

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, एवं
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नजूल अधिकारी, खण्डवा के समक्ष प्रकरण कमांक 176/अ–6/2008–09 के प्रचलित रहने के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन मकान पर मालिक नाते काबिज होकर वह आधिपत्यधारी है, अतः उसे पक्षकार बनाया जाये । नजूल अधिकारी द्वारा दिनांक

10–9–2010 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नजूल अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, खण्डवा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 30–9–2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई, और निगरानी प्रचलित रहने के दौरान नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 1–12–2011 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया, अतः अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित निगरानी निरर्थक हो जाने से अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–9–2013 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से नजूल अधिकारी के समक्ष प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिसे ही नजूल अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन सम्पत्ति में आवेदक अपना हित साबित नहीं कर सका है, साथ ही भूमिस्वामी से उसका क्या संबंध था, यह भी प्रमाणित नहीं कर सका, अर्थात नजूल अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गई थी, और निगरानी प्रचलित रहने के दौरान नजूल अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदक को विचारण न्यायालय में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला है, इसी कारण यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, और नजूल अधिकारी द्वारा जो अंतिम आदेश पारित किया गया है, उसमें आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर नहीं मिला है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी लंबित रहने के दौरान यदि अंतिम आदेश पारित कर दिया जाता है, तब वह भी निरस्त किए जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 1985 एम.पी.एल.जे. 797 एवं 2011 आर.एन. 310 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा केवल कब्जे के आधार पर नजूल अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जबकि अनावेदक के पक्ष में वसीयतनामा है, और वास्तव में वही प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है । यह भी कहा गया कि नजूल अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जिसकी अपील लंबित है, और आवेदक को अपील में आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है, अतः यह निगरानी निरर्थक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नजूल अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नजूल अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा कब्जे के आधार पर पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और चूँकि नामान्तरण कब्जे के आधार पर नहीं होकर स्वत्व के आधार पर होता है, इसलिये नजूल अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यहाँ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि नजूल अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी लंबित रहने के दौरान नजूल अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है और जिसकी अपील भी लंबित है । अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–9–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर